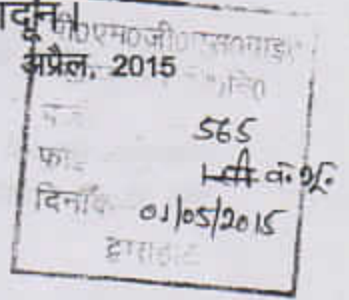


कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: 2880/FP/UK/ROAD/8970/2014 दिनांक: देहरादून:



सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०
द्वाराहाट, जनपद-अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद-अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-8) के अन्तर्गत बारीकोट-खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.991 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 का पत्रांक 171/X-4-15/1(59)/2015 दिनांक 01-04-2015 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है:-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या (100) में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आवश्यक धनराशि निर्धारित कराकर (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में ₹0 8,37,395.00 (₹0 आठ लाख सैतीस हजार तीन सौ पचानब्बे) मात्र एन०पी०वी० की धनराशि जमा की जानी है।
3. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी।
4. शर्त संख्या-4-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मध्य UTR नं० भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।
5. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों के अन्तर्गत सुरक्षा उपायों हेतु निर्धारित बजट की सूचना उपलब्ध करायी जानी है एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाना है कि जनपद-कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

स०अ० II

अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें

for

21/5/15

5.6

7. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. शर्त संख्या-9 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जायेगा।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,
(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक

संख्या / FP/UK/ROAD/8970/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, जनपद-अल्मोड़ा।
4. प्रमाणीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा। (संलग्न:-यथोपरि)
5. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। (संलग्न:-यथोपरि)

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक: 668 / 7-1(4) अल्मोड़ा

दिनांक: 15-6-2015

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0नि0वि0
द्वाराहाट, जनपद- अल्मोड़ा

विषय :- सलग्न पत्रानुसार।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक
2880 / FP / UK / ROAD / 8970 / 2014 दि० 10-04-2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सम्बोधित तथा अन्य अधिकारियों सहित अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित सन्दर्भित पत्रांक के क्रम में शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर न्यूनतम निर्धारित संख्या 100 अथवा प्रभावित वृक्षों (15) के दस गुना (150) वृक्षों के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु प्राकलन वर्तमान दरों पर निर्धारित करवाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोक्त

भवदीय



प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना – प्रभावित वृक्षों के दस गुनी संख्या में

परियोजना का नाम – अल्मोड़ा में बाड़ीकोट-खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण पर प्रभावित होने वाले वृक्ष-15

वृक्षारोपण स्थल का नाम – जैठा, खुरडी, कोटियाग सिविल

क्षेत्रफल 0.991 हे०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 15×10=150

क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.00	97.00	97.00
2	क्षेत्र की सफाई (गाड़ी कटान आदि)	1.00	584.00	584.00
3	अग्रिम बीवाल बन्दी (फन्सिंग) 187×0.45×0.991	83.39	315.00	26267.85
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे घाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्राविधान			
	(1) पत्थरों के बैंक डेम	3.00	9500.00	28500.00
	(2) वाटर इन्फेस्टिंग टैंक	7.00	3000.00	21000.00
5	गड्ढा खुदान (0.30×0.30×0.45)	150.00	7.33	1099.50
6	निरीक्षण बटिया बनना	1.00	485.00	485.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	150.00	5.89	883.50
8	अन्य व्यय जैसे पत्र, संचय, औजार तैज करना एवं अन्य कार्य का व्यय	1.00	400.00	400.00
	योग – प्रथम चरण			79316.85

द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45)	150.00	1.15	172.50
2	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	150.00	1.15	172.50
3	पौध डुलान कार्य	150.00	6.39	958.50
4	पौधारोपण व थालीबन्दी	150.00	2.06	309.00
5	निराई गुड़ाई व मलिंग (दो बार)	150.00	0.76	114.00
6	खाद व दवा पत्र व्यय	150.00	0.21	31.50
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	1.00	4768.00	4768.00
8.1	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों का कटाना प्रति हे०	1.00	350.00	300.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उत्प्रेरणीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	1.00		
	अ- प्रशिक्षण	1.00	400.00	400.00
	ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि कार्य वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट कार्य वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी कील्ड सरीय कार्य को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कमेटेशन आदि कार्य	1.00	700.00	700.00
	योग द्वितीय चरण			8351.00

तृतीय चरण			
1 रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह			
	1.00	7152.00	7152.00
2.2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्प्रेरणीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
योग तृतीय चरण			8237.00
चतुर्थ चरण			
1 रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह			
	1.00	7152.00	7152.00
2.2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्प्रेरणीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
योग चतुर्थ चरण			8237.00
पंचम चरण			
1 रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह			
	1.00	7152.00	7152.00
2.2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्प्रेरणीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
योग पंचम चरण			8237.00
षष्ठम चरण			
1 रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह			
	1.00	7152.00	7152.00
2.2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्प्रेरणीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
योग षष्ठम चरण			8237.00

सप्तम वरग			
1 रापण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2.2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
योग सप्तम वरग			8237.00
अष्टम वरग			
1 रापण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2.2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
योग अष्टम वरग			8237.00
नवम वरग			
1 रापण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2.2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
योग नवम वरग			8237.00
दशम वरग			
1 रापण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2.2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
योग दशम वरग			8237.00
कुल योग			153563.85

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

अध्यक्ष वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा